



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443]

No. 443]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2005/कार्तिक 6, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2005/KARTIKA 6, 1927

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2005

सा.का.नि. 650(क).— पेंशनीय सरपगार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22)

की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ड) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है ;

(ख) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ग) “आयोग” से केंद्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु अधिनियम में प्रकाशित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. अपील की अंतर्वस्तु—आयोग को किसी अपील में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

(i) अपीलार्थी का नाम और पता ;

(ii) उस केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता, जिसके विनिश्चय के विरुद्ध अपील की गई है ;

(iii) उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संख्यांक, यदि कोई हो, सहित विशिष्टियां ;

(iv) अपील के कारण बनने वाले संक्षिप्त तथ्य ;

(v) यदि अपील समझी गई नामंजूरी के विरुद्ध की गई है तो आवेदन की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत संख्यांक और तारीख भी है तथा उस केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का, जिसको आवेदन किया गया था, नाम और पता ;

(vi) प्रार्थना या चाही गई राहत ;

(vii) प्रार्थना या राहत के आधार ;

(viii) आवेदक द्वारा सत्यापन ; और

(ix) कोई अन्य सूचना, जिसे आयोग अपील का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे ।

4. अपील के साथ दस्तावेजों का लगाया जाना-आयोग को की गई प्रत्येक अपील के साथ, निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात् :—

(i) उन आदेशों या दस्तावेजों की, जिनके विरुद्ध अपील की जा रही है, स्वअनुप्रमाणित प्रतियां ;

(ii) उन दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर आवेदक ने निर्भर रहा है और जिन्हें उसने अपील में निर्दिष्ट किया गया है ; और

(iii) अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अनुक्रमणिका ।

5. अपील का विनिश्चय करने में प्रक्रिया-आयोग, अपील का विनिश्चय करने में,—

(i) संबंधित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ या शपथपत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य की सुनवाई कर सकेगा ;

(ii) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उसकी प्रतियों का अनुशीलन या निरीक्षण कर सकेगा ;

(iii) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और व्यौरों या तथ्यों की जांच कर सकेगा ;

(iv) यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, या ऐसे ज्येष्ठ अधिकारी की, जिसने पहली अपील का विनिश्चय किया हो या ऐसे व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, सुनवाई कर सकेगा ;

(v) तीसरे पक्षकार को सुन सकेगा ; और

(vi) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, ऐसे अन्य ज्येष्ठ अधिकारी, जिसने पहली अपील का विनिश्चय किया हो, ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है या तीसरे पक्षकार से शपथ पत्रों पर साक्ष्य ले सकेगा ।

6. आयोग द्वारा सूचना की तामील-आयोग द्वारा जारी की जाने वाली सूचना की निम्नलिखित में से किसी एक ढंग से तामील की जा सकेगी, अर्थात् :-

(i) पक्षकार द्वारा स्वयं ही तामील द्वारा ;

(ii) आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती परिदान द्वारा ;

(iii) देय अभिस्वीकृति सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ;

(iv) मुख्यालय या विभाग के माध्यम से ।

7. आवेदक या शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति—(1) यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को सुनवाई की तारीख के बारे में प्रत्येक दशा में उस तारीख के कम से कम सात स्पष्ट दिन पूर्व सूचित किया जाएगा ।

(2) यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता, आयोग द्वारा अपील या शिकायत की सुनवाई के समय स्वविवेकानुसार स्वयं या अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा या उपस्थित न होने का विकल्प ले सकेगा ।

(3) यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता, अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करते समय अपील की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की सहायता ले सकेगा और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति विधिक व्यवसायी नहीं होना चाहिए ।

8. आयोग का आदेश—आयोग का आदेश खुली कार्यवाहियों में सुनाया जाएगा और रजिस्ट्रार या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित रूप में लिखित में होगा ।

[फ़. सं. 1/4/2005—आई.आर.]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2005

G.S.R. 650(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Information Commission (Appeal Procedure) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Right to Information Act, 2005;

(b) "section" means section of the Act;

(c) "Commission" means the Central Information Commission;

(d) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Contents of appeal.**- An appeal to the Commission shall contain the following information, namely :-

(i) name and address of the appellant;

(ii) name and address of the Central Public Information Officer against the decision of whom the appeal is preferred;

(iii) particulars of the order including number, if any, against which the appeal is preferred;

(iv) brief facts leading to the appeal

(v) if the appeal is preferred against deemed refusal, the particulars of the application, including number and date and name and address of the Central Public Information Officer to whom the application was made;

(vi) prayer or relief sought;

(vii) grounds for the prayer or relief;

(viii) verification by the appellant; and

(ix) any other information which the Commission may deem necessary for deciding the appeal.

4. Documents to accompany appeal.- Every appeal made to the Commission shall be accompanied by the following documents, namely :-

- (i) self-attested copies of the Orders or documents against which the appeal is being preferred;
- (ii) copies of documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal; and
- (iii) an index of the documents referred to in the appeal.

5. Procedure in deciding appeal.- In deciding the appeal the Commission may,-

- (i) hear oral or written evidence on oath or on affidavit from concerned or interested person;
- (ii) peruse or inspect documents, public records or copies thereof;
- (iii) inquire through authorised officer further details or facts;
- (iv) hear Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer or such Senior Officer who decide the first appeal, or such person against whom the complaint is made, as the case may be;
- (v) hear third party; and
- (vi) receive evidence on affidavits from Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, such Senior Officer who decided the first appeal, such person against whom the complaint lies or the third party.

6. Service of notice by Commission.- Notice to be issued by the Commission may be served in any of the following modes, namely :-

- (i) service by the party itself;
- (ii) by hand delivery (dasti) through Process Server;
- (iii) by registered post with acknowledgement due; or
- (iv) through Head of office or Department.

7. Personal presence of the appellant or complainant.- (1) The appellant or the complainant, as the case may be, shall in every case be informed of the date of hearing at least seven clear days before that date.

(2) The appellant or the complainant, as the case may be, may at his discretion at the time of hearing of the appeal or complaint by the Commission be present in person or through his duly authorised representative or may opt not to be present.

(3) Where the Commission is satisfied that the circumstances exist due to which the appellant or the complainant, as the case may be, is being prevented from attending the hearing of the Commission, then, the Commission may afford the appellant or the complainant, as the case may be, another opportunity of being heard before a final decision is taken or take any other appropriate action as it may deem fit.

(4) The appellant or the complainant, as the case may be, may seek the assistance of any person in the process of the appeal while presenting his points and the person representing him may not be a legal practitioner.

8. **Order of the Commission.**— Order of the Commission shall be pronounced in open proceedings and be in writing duly authenticated by the Registrar or any other officer authorised by the Commission for this purpose.

[F. No. 1/4/2005-IR]

T. JACOB, Jt. Secy.